

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-715/2008
संस्थित दिनांक- 15.12.2008

दीपचन्द पुत्र वंशीलाल विश्वकर्मा उम्र 54 साल
निवासी नई बस्ती फतेहाबाद चंदेरी
जिला अशोकनगर (मध्य प्रदेश)

.....परिवादी

विरुद्ध

अनिल पुत्र भैयालाल उम्र 35 साल
जाति विश्वकर्मा निवासी इलाइट चौराहा राजघोट रोड
ललितपुर थाना व जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश)

.....अभियुक्त

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 28.02.2018 को घोषित)

- 01-अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 469 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने परिवादी दीपचंद विश्वकर्मा का फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षरित पत्र कि रचना कर उसे न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-17/03 में एवं प्रकरण क्रमांक-373/03 इस आशय से प्रस्तुत किया कि वह उक्त पत्र जिसकी कूटरचना की गई है, से परिवादी की ख्याति की अपहानि कारित करेगा, या यह संभाव्य जानते हुये प्रस्तुत किया कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाये।
- 02-परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी की लडकी ममताबाई का विवाह 09 जुलाई 2000 को अनिल से साथ हिन्दू-रीति रिवाज के अनुसार हुआ था, शादी के बाद आरोपी ने परिवादी दीपचंद की पुत्री को दहेज के लिये परेशान करना एवं उसके साथ मारपीट शुरू कर दी थी, परिवादी दीपचन्द की पुत्री ममताबाई को एक माह के बच्चे के परिवादी के घर पर भैयालाल छोड गया, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवादी दीपचंद की पुत्री ममताबाई ने थाना चंदेरी में की थी, जिसके आधार पर सभी अभियुक्त अनिल व उसके परिजनों के विरुद्ध

पुलिस थाना चंदेरी में धारा 498 'ए' भा.द.वि. के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण के दौरान अभियुक्त की ओर से एक फर्जी पत्र फर्जी रूप से कूटरचित कर आपराधिक षडयन्त्र कर परिवादी दीपचन्द के फर्जी हस्ताक्षर करके तैयार कर प्रकरण क्रमांक-373/2003 में प्रस्तुत किया था, जिसमें पारित निर्णय दिनांक-02.07.2005 के पैरा-18 में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध से बचने के लिये असत्य रूप से उक्त पत्र की रचना की गई, जो अभियुक्त की आपराधिक प्रवृत्ति को अधिक पुष्ट करता है।

03-अभियुक्त ने विचाराधीन प्रकरण क्रमांक-373/003 धारा-498 'ए', 34 से बचने के लिये उक्त पत्र की कूटरचना की मंशा से षडयन्त्र करके आवेदक के फर्जी हस्ताक्षर करके तैयार किया है। अपराध के संबंध में प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक अशोकनगर तथा पुलिस अधीक्षक ललितपुर को प्रथम सूचना रिपोर्ट भिजवाई है। लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही न किये जाने पर यह परिवाद अभियुक्त व उसके परिजनों के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120बी/149 के तहत कार्यवाही किये जाने के लिये न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04-अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर आई प्रारम्भिक साक्ष्य के आधार पर भा.द.वि. की धारा 469 के तहत लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त अनिल ने परिवादी दीपचंद विश्वकर्मा का फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षरित पत्र की रचना कर उसे न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-17/03 में एवं प्रकरण क्रमांक-373/03 इस आशय से प्रस्तुत किया कि वह उक्त पत्र जिसकी कूटरचना की गई है, से परिवादी की ख्याति की अपहानि करेगी, या यह संभाव्य जानते हुये किया कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग
----	---

	किया जाये ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

06—दीपचन्द (प0सा0-01) का अपने कथनों में कहना है कि ममता की अनिल से शादी के बाद वह उसे शारीरिक और मानसिक रूप से दहेज की मांग के लिये प्रताड़ित करता था, जिसके कारण ममता और अनिल के संबंध अच्छे नहीं थे, तो ममता ने इस संबंध में पुलिस थाना चंदेरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसका प्रकरण चंदेरी न्यायालय में चला था, जिसमें अभियुक्त अनिल को दोषी पाते हुये 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया था। परिवादी दीपचन्द (प0सा0-01) के अनुसार इसी प्रकरण में अभियुक्त अनिल के द्वारा एक फर्जी पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं।

07—दीपचन्द (प0सा0-01) के द्वारा अपने समर्थन में पूर्व में निराकृत दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-373/03 अंतर्गत धारा-498 (ए) भा.द.वि. पारित निर्णय दिनांक-02.07.2005 की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में प्रदर्श-पी-01 के रूप में प्रस्तुत की है तथा उक्त प्रकरण में अभियुक्त अनिल के द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत किये गये पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-02 सी प्रस्तुत की गई है, जिसे मूल पत्र प्रदर्श-पी-02 से मिलान उपरांत प्रदर्शित किया गया। दीपचन्द (प0सा0-01) का कहना है कि प्रकरण क्रमांक-373/03 में अभियुक्त अनिल कुमार के द्वारा प्रस्तुत किया गया पत्र प्रदर्श-पी-02 फर्जी रूप से तैयार कर अनिल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिस पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं।

08—अभियुक्त अनिल कुमार (ब0सा0-01) का अपने न्यायालीन कथनों में दीपचन्द (प0सा0-01) के कथनों के विपरीत यह कहना है कि प्रदर्श-पी-02 का पत्र उसे प्रदर्श-डी-05 के रजिस्टर्ड ए.डी. लिफाफे के साथ उसमें रखा हुआ, ललितपुर में प्राप्त हुआ था, जिस पर भेजने वाले का नाम प्रदर्श-डी-05 में उसके ससुर दीपचन्द (प0सा0-01) का लिखा है अर्थात् अनिल कुमार (ब0सा0-01) के अनुसार प्रदर्श-पी-02 के पत्र की कूट रचना उसके द्वारा दीपचन्द के हस्ताक्षर बनाकर नहीं की गई, बल्कि उक्त पत्र उसे रजिस्टर्ड ए.डी. लिफाफा प्रदर्श-डी-05 के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक से ललितपुर में प्राप्त

हुआ तथा उसे जैसा पत्र प्राप्त हुआ था, उसे उसने प्रकरण में प्रस्तुत कर दिया था। अभियुक्त अनिल कुमार (ब0सा0-01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि उक्त दस्तावेज की कूट रचना उसके द्वारा की गई है।

09-परिवादी का कहना है कि प्रदर्श-पी-02 का पत्र अनिल कुमार के द्वारा कूटरचित कर उसकी फर्जी हस्ताक्षर कर न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-373/03 एवं विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक-17/03 में प्रस्तुत किया गया था, उक्त पत्र प्रदर्श-पी-02 उपरोक्त दोनों प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत किया गया था, इस तथ्य को अभियुक्त के द्वारा विवादित नहीं किया गया और न ही अभियुक्त ने यह विवादित किया है कि परिवादी की पुत्री ममता जो कि उसकी पत्नी है के द्वारा धारा 498 ए भा0द0वि0 का प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था, जिसका प्रकरण क्रमांक 373/03 है। अभियुक्त ने अपने कथनों में स्वयं प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पत्र उसे डाक से प्राप्त हुआ था तथा उसे जैसा पत्र मिला था, उसने वैसा प्रकरण में प्रस्तुत कर दिया था। अतः वास्तव में प्रदर्श-पी-02 का पत्र कूट रचित है तथा उस पर दीपचन्द (प0सा0-01) के फर्जी हस्ताक्षर कर अभियुक्त के द्वारा प्रदर्श-पी-02 की पत्र की कूट रचना की गई, यह मुख्य रूप से निर्धारित किया जाना है।

10-प्रदर्श-पी-02 के पत्र की कूट रचना अभियुक्त अनिल द्वारा परिवादी के फर्जी हस्ताक्षर कर की गई, ऐसा परिवादी का कहना है। अतः परिवादी यदि यह चाहता है कि न्यायालय परिवादी के द्वारा कथित उपरोक्त तथ्यों के अस्तित्व को स्वीकार करें, तो प्रदर्श-पी-02 के पत्र पर परिवादी के दीपचन्द (प0सा0-01) के फर्जी हस्ताक्षर अभियुक्त अनिल कुमार के द्वारा किये गये हैं तथा उसकी ख्याति को हानि पहुंचाने के आशय से उसे अभियुक्त ने कूट रचना कर न्यायालयीन प्रकरणों में प्रस्तुत किया है, यह साबित करने का भार साक्ष्य अधिनियम की धारा-101, 102 के प्रावधान के अनुसार परिवादी दीपचन्द (प0सा0-01) पर है। परिवादी को सर्वप्रथम तो यह साबित करना है कि प्रदर्श-पी-02 पर उसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये, वहीं दूसरी ओर यह साबित करना है कि प्रदर्श-पी-02 पर जो उसके हस्ताक्षर हैं, वह अनिल कुमार के द्वारा कूट रचना कर बनाये गये हैं।

- 11—प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श-पी-02 के पत्र पर अभियुक्त अनिल के द्वारा परिवादी के फर्जी हस्ताक्षर कर पत्र की कूटरचना की गई, यह साबित करने के लिये परिवादी की ओर से स्वयं की मौखिक साक्ष्य के अलावा अपने समर्थन में राजेश कुमार ओझा (प0सा0-02) व अपनी पुत्री ममता बाई (प0सा0-03) के न्यायालय में कथन कराये हैं तथा प्रकरण क्रमांक-373/03 में पारित निर्णय दिनांक-02.07.2005 की सत्यप्रतिलिपि सहित विवादित पत्र प्रदर्श-पी-02 सी प्रकरण में प्रस्तुत किया है तथा उक्त पत्र की कूटरचना अभियुक्त के द्वारा की जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को गई लिखित शिकायत प्रदर्श-पी-03 व उसे प्रेषित करने की डाक रसीद प्रदर्श-पी-04 व 05 प्रकरण में अपने समर्थन में प्रस्तुत की है।
- 12—परिवादी दीपचन्द (प0सा0-01) का अपने कथनों में कहना है कि प्रदर्श-पी-02 पर उसने हस्ताक्षर नहीं किये उक्त पत्र अनिल कुमार के द्वारा उसके फर्जी हस्ताक्षर कर कूट रचित कर पूर्व प्रकरणों में प्रस्तुत किया गया था। जबकि इसी साक्षी के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-07 में बचाव पक्ष की सुझाव के माध्यम से यह प्रतिरक्षा है कि प्रदर्श-पी-02 के आवेदन पर को दीपचन्द (प0सा0-01) के हस्ताक्षर हैं तथा उक्त पत्र स्वयं उसी अनिल को भेजा था और वह जानबूझकर अलग-अलग हस्ताक्षर करता है।
- 13—बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये उपरोक्त सुझाव का परिवादी ने हालांकि खण्डन किया है, परन्तु दीपचन्द (प0सा0-01) ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस प्रकरण में आदेश पत्रिका सहित प्रकरण क्रमांक-[715/08](#) की आदेश पत्रिकाओं पर परिवादी के हस्ताक्षरों की पहचान परिवादी से करवाई है, जिस पर परिवादी दीपचन्द (प0सा0-01) ने इस प्रकरण सहित पूर्व के प्रकरण क्रमांक-[715/08](#) की आदेश पत्रिकाओं पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। इसके अतिरिक्त परिवादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में प्रदर्श-पी-03 का दस्तावेज जो कि उसके स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा पुलिस को दिये गये कथन प्रदर्श-डी-01 एवं साक्ष्य सूची प्रदर्श-डी-02 व नोटिस प्रदर्श-डी-03 पर भी अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है।
- 14—यह उल्लेखनीय है कि परिवादी दीपचन्द (प0सा0-01) के द्वारा प्रस्तुत पत्र प्रदर्श-पी-03 के प्रथम पृष्ठ पर एवं प्रदर्श-डी-02 के ए से ए भाग पर एवं इस प्रकरण में प्रकरण क्रमांक-[715/08](#) के आदेश पत्रिकाओं पर मात्र 'दीपचन्द' लिखकर हस्ताक्षर किये गये हैं, वही प्रदर्श-पी-03 के ए से ए भाग एवं

प्रदर्श-डी-01 के अ से अ भाग एवं प्रदर्श-डी-03 के अ से अ भाग पर 'दीपचन्द विश्वकर्मा' नाम से हस्ताक्षर किये गये हैं, जो कि परिवादी के द्वारा अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये गये हैं। प्रदर्श-डी-01 के ए से ए भाग पर परिवादी के हस्ताक्षर एवं प्रदर्श-पी-03 के अ से अ भाग पर परिवादी के हस्ताक्षर स्वीकृत हैं, परन्तु उन दोनों ही हस्ताक्षरों में भिन्नता एवं पूर्व में किये गये हस्ताक्षरों में भिन्नता देखी जा सकती है।

15—निश्चित रूप से समय के साथ हस्ताक्षरों में कुछ परिवर्तन अवश्य हो सकता है और जहां यह प्रतिरक्षा है कि परिवादी बदल-बदल कर हस्ताक्षर करता है, जो प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श-पी-03 के पत्र एवं प्रदर्श-डी-01 के हस्ताक्षरों से भी परिलक्षित होता है, ऐसे में बचावपक्ष के पास ली गई प्रतिरक्षा का युक्ति-युक्त आधार अभिलेख पर है। अतः ऐसे में प्रदर्श-पी-02 के दस्तावेज पर परिवादी दीपचन्द (प0सा0-01) के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं तथा उक्त उस पर हस्ताक्षर अभियुक्त अनिल कुमार के द्वारा किये गये हैं, यह साबित करने के लिये परिवादी दीपचन्द (प0सा0-01) की मौखिक साक्ष्य एक कमजोर साक्ष्य है, जिसके एक मात्र आधार पर न तो यह निर्धारित किया जा सकता है कि प्रदर्श-पी-02 के पत्र पर दीपचन्द विश्वकर्मा के हस्ताक्षर नहीं हैं, और न ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि उसे पर बनाये गये हस्ताक्षर अभियुक्त के द्वारा बनाये गये हैं।

16—राजेश कुमार ओझा (प0सा0-02) व ममता बाई (प0सा0-03) का भी अपने कथनों में यह कहना है कि प्रदर्श-पी-02 के पत्र पर दीपचन्द (प0सा0-01) के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा उस पर अभियुक्त के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर किये गये। इन दोनों ही साक्षियों की उपरोक्त साक्ष्य उनकी राय मात्र है, जो निश्चित रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा-47 के तहत सुसंगत है, परन्तु उक्त साक्ष्य पर विश्वास किये जाने से पूर्व यह भी देखा जाना आवश्यक है कि वास्तव में यह दोनों ही साक्षी परिवादी दीपचन्द (प0सा0-01) के हस्ताक्षरों एवं अभियुक्त की हस्तलिपि से पूर्व से परिचित थे अथवा नहीं।

17—राजेश कुमार ओझा (प0सा0-02) का अपने कथनों में कहना है कि अनिल कुमार ने प्रदर्श-पी-02 पर दीपचन्द (प0सा0-01) के फर्जी हस्ताक्षर बनाये थे, परन्तु यह साक्षी उक्त जानकारी भी साक्षी दीपचन्द (प0सा0-01) के बताये अनुसार होना बताता है। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-05 में यह तो कहता है कि वह दीपचन्द (प0सा0-01) के हस्ताक्षरों को पहचानता है तथा

पत्र पर दीपचन्द (प0सा0-01) के हस्ताक्षर नहीं हैं, परन्तु वास्तव में दीपचन्द (प0सा0-01) के हस्ताक्षरों को पहचानने का आधार या कारण इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में स्पष्ट नहीं किया है।

18—कोई भी व्यक्ति साक्ष्य अधिनियम की धारा-47 के तहत किसी व्यक्ति के हस्ताक्षरों से परिचित तब कहा जाता है, जब उसने उस व्यक्ति को हस्ताक्षर करते हुये देखा हो या उसे संबंधित व्यक्ति के द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित प्राप्त होते रहते हो या कारोबार के मामूली अनुक्रम में उस व्यक्ति के समक्ष संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षरित दस्तावेज बराबर रखे जाते रहे हों, उपरोक्त मापदण्ड में यदि साक्षी राजेश कुमार (प0सा0-02) के द्वारा दिये गये कथनों की जांच की जाये, तो उसके पास परिवादी के हस्ताक्षरों को पहचानने या अभियुक्त के द्वारा प्रदर्श-पी-02 पर परिवादी के हस्ताक्षर किये जाने की पहचान करने का उपरोक्त में से कोई आधार नहीं है।

19—राजेश कुमार (प0सा0-02) परिवादी के साथ ही अन्य प्रकरणों में अभियुक्त के द्वारा संस्थित की कार्यवाही में अभियुक्त रह चुका है तथा उसने परिवादी की ओर से कई बार गवाही भी दी है तथा वह परिवादी का पड़ोसी भी है, परन्तु मात्र उक्त आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि यह साक्षी परिवादी तथा अभियुक्त के हस्ताक्षरों व हस्तलिपि से पूर्व से परिचित था। राजेश कुमार ओझा (प0सा0-02) अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं यह स्वीकार करता है कि न तो ममता के हस्ताक्षरों को पहचान सकता है और न ही वह दीपचन्द (प0सा0-01) के बच्चों व परिवार के लोगों के हस्ताक्षरों को पहचान सकता है। यदि यह साक्षी पड़ोसी होने के नाते दीपचन्द के परिवार के लोगों के हस्ताक्षर ही नहीं पहचानता है, तो उसके द्वारा न्यायालय में इस संबंध में दी गई राय कि वह दीपचन्द (प0सा0-01) के हस्ताक्षर को पहचानता है तथा प्रदर्श-पी-02 के पत्र पर दीपचन्द (प0सा0-01) के हस्ताक्षर नहीं हैं, न्यायालय के द्वारा प्रदर्श-पी-02 के पत्र के संबंध में किसी भी युक्ति-युक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये सहायक नहीं है और न ही राजेश कुमार (प0सा0-02) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों को प्रदर्श-पी-02 के पत्र के कूटरचित होने का निश्चायक प्रमाण ही माना जा सकता है।

20—ममता बाई (प0सा0-03) परिवादी की पुत्री है, जो कि निश्चित रूप से परिवादी के हस्ताक्षरों से परिचित हो सकती है, परन्तु वह अभियुक्त की हस्तलिपि व हस्ताक्षरों से भली-भांति परिचित है तथा वह किस आधार पर अपने कथनों में

अनिल के द्वारा उसके पिता के नाम से फर्जी पत्र पिता के फर्जी हस्ताक्षर करके तैयार किया जाना बता रही है, यह कहीं भी इस साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया है, मात्र बिना किसी युक्ति-युक्त आधार एवं प्रमाण के दीपचंद (प0सा0-01) सहित राजेश कुमार ओझा (प0सा0-02) व ममताबाई (प0सा0-03) के द्वारा न्यायालय में दी गई मौखिक साक्ष्य कि प्रदर्श-पी-02 के पत्र पर दीपचन्द के हस्ताक्षर अभियुक्त अनिल के द्वारा बनाये गये है, विश्वसनीय नहीं है और न ही इन साक्षियों के द्वारा उपरोक्त संबंध में दी गई राय के आधार पर कोई निष्कर्ष अभियुक्त के विरुद्ध दिया जाना संभव है।

21-ममता के द्वारा दर्ज कराया गया प्रकरण [कमाक-373/03](#) में प्रदर्श-पी-02 के पत्र को अभियुक्त अनिल के द्वारा कूटरचित कर उसे कूट रचित जानते हुये प्रकरण में प्रस्तुत किये गया यह साबित करने का मुख्य दो आधार परिवादी दीपचन्द (प0सा0-01) के पास हैं। सर्वप्रथम तो प्रकरण कमाक [373/03](#) में पारित निर्णय दिनांक-02.07.2003 की कण्डिका-18 में न्यायालय के द्वारा इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध दिया गया निष्कर्ष है। वही दूसरी ओर अभियुक्त के अधिपत्य से उक्त प्रकरण में प्रदर्श-पी-02 का पत्र प्रस्तुत किया जाना है। जहां तक अभियुक्त के अधिपत्य से स्वयं अभियुक्त के द्वारा प्रदर्श-पी-02 का पत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया, यह स्वयं अभियुक्त के द्वारा स्वीकार किया गया है।

22- अभियुक्त अनिल कुमार (ब0सा0-01) का अपने कथनों में यह स्पष्ट कहना है कि उसे प्रदर्श-पी-02 का पत्र प्रदर्श-डी-05 के रजिस्टर्ड ए.डी. लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिस पर प्रेषक दीपचन्द विश्वकर्मा (प0सा0-01) का नाम अंकित है, उक्त प्रदर्श-डी-05 की रजिस्ट्री किस स्थान से हुई तथा वास्तव में उक्त प्रदर्श-डी-05 का लिफाफा दीपचंद विश्वकर्मा के द्वारा अभियुक्त को प्रेषित नहीं किया गया या प्रदर्श-डी-05 के लिफाफे पर अंकित हस्तलिपि दीपचन्द विश्वकर्मा की नहीं है, ऐसा कहीं दीपचन्द (प0सा0-01) सहित उसकी ओर से परीक्षण कराये गये किसी भी साक्षी का कहना नहीं है।

23-अतः प्रदर्श-पी-02 का पत्र जो कि प्रदर्श-डी-05 के रजिस्टर्ड ए.डी. लिफाफे से अभियुक्त को प्राप्त हुआ हो मात्र उसकी ओर से उक्त पत्र किसी प्रकरण में प्रस्तुत किया जाना इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकता है कि प्रदर्श-पी-02 का पत्र स्वयं अभियुक्त के द्वारा ही कूट रचित कर प्रकरण में

प्रस्तुत किया गया है। दीपचन्द (प0सा0-01) के द्वारा प्रदर्श-डी-05 के लिफाफे के संबंध में कही भी यह कहना नहीं है कि उक्त लिफाफा उसके द्वारा प्रेषित नहीं किया गया। प्रदर्श-डी-05 का लिफाफा किस बाबत प्रेषित किया गया, यह दीपचन्द (प0सा0-01) ने स्पष्ट नहीं किया है।

24-परिवादी की ओर से प्रकरण में प्रकरण क्रमांक [373/03](#) में पारित निर्णय दिनांक-02.07.2005 में पारित निर्णय की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-01 प्रकरण में प्रस्तुत की है जिसकी कण्डिका-18 में न्यायालय के द्वारा निश्चित रूप से यह व्यक्त किया गया है कि प्रदर्श-पी-2 का पत्र दीपचन्द (प0सा0-01) के द्वारा अनिल को लिखा जाना स्वभाविक प्रतीत नहीं होता है, बल्कि प्रदर्श-पी-02 का पत्र एवं लिफाफा प्रदर्श-डी-05 अभियुक्त के द्वारा दुर्भावनापूर्वक तैयार किया जाना प्रतीत होता है तथा इस संबंध में स्वयं परिवादी दीपचन्द (प0सा0-01) के द्वारा न्यायालय में भी कथन दिये गये हैं।

25-परिवादी की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श-पी-01 के निर्णय तथा उसमें दिये गये निष्कर्ष पर विचार किये जाने से पूर्व सर्वप्रथम तो प्रदर्श-पी-01 के निर्णय एवं उसमें दिये गये निष्कर्ष की इस प्रकरण में सुसंगत पर विचार किया जाना आवश्यक है। किसी भी न्यायालय को पूर्व का निर्णय चाहे पर दाण्डिक न्यायालय के द्वारा पारित किया गया हो या दीवानी न्यायालय के द्वारा पारित किया गया किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर किसी दाण्डिक अथवा दीवानी न्यायालय में कब सुसंगत होगा, इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40, 41, 42 एवं 43 में उल्लेखित है।

26-वर्तमान प्रकरण में पूर्व में दाण्डिक न्यायालय के द्वारा पारित किया गया निर्णय प्रदर्श-पी-01 इस दाण्डिक प्रकरण में परिवादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है। अतः मुख्य रूप से यह विचार किया जाना है कि क्या एक दाण्डिक मामले का निर्णय दूसरे दाण्डिक मामले में सुसंगत है अथवा नहीं। इस संबंध में मुख्य रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-40 एवं 43 के उपबंध के अनुसार एक दाण्डिक न्यायालय का निर्णय किसी दूसरे दाण्डिक प्रकरण में सुसंगत तो हो सकता है, परन्तु उसको सीमित प्रयोजन के लिये ही सुसंगत माना गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा-40 के तहत दाण्डिक प्रकरण में पारित निर्णय किसी दूसरे दाण्डिक प्रकरण में तभी सुसंगत हो सकता है, जब उस निर्णय के अस्तित्व में रहते हुये कोई न्यायालय किसी प्रकरण का विचारण करने से विधि द्वारा निवारित हो जाता है।

27—दाण्डिक प्रकरणों में यह स्थिति मात्र द.प्र.स. की धारा-300 के तहत उत्पन्न हो सकती है, जब किसी अपराध के लिये किसी निर्णय में अभियुक्त को दोष सिद्धि या दोष मुक्त कर दिया हो तो उसी अभियुक्त को उसी अपराध के लिये विचारण नहीं किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में अभियुक्त को उस अपराध में पूर्व की दोष सिद्धि या दोष मुक्ति को निर्णय पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर उसी अपराध के लिये चल रहे किसी दाण्डिक विचारण में उस प्रकरण के विचारण को रोकने के लिये सुसंगत होता है। प्रदर्श-पी-01 के निर्णय से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण धारा-498 'ए' के अपराध में पारित किया गया निर्णय है, जिसमें प्रदर्श-पी-02 के पत्र की कूटरचना का कोई आरोप न तो अभियुक्त पर था और न ही इस अपराध का विचारण एवं उस पर निर्णय न्यायालय के द्वारा दिया गया। अतः ऐसे में साक्ष्य अधिनियम की धारा-40 के प्रावधान के अनुसार प्रदर्श-पी-01 का निर्णय इस प्रकरण में सुसंगत नहीं है।

28—साक्ष्य अधिनियम की धारा-43 के अनुसार कोई भी निर्णय यदि धारा-40, 41 और 42 के तहत सुसंगत नहीं है, वह किसी दूसरे प्रकरण में इस आधार पर सुसंगत हो सकता है कि उस प्रकरण में उक्त निर्णय का अस्तित्व ही विबाधक हो। वर्तमान प्रकरण में प्रदर्श-पी-01 का निर्णय या उसमें दिया गया निष्कर्ष को किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी गई हो और न ही वह प्रकरण में विवादित हैं। अतः ऐसे में साक्ष्य अधिनियम की धारा-43 के अनुसार प्रदर्श-पी-01 का निर्णय इस प्रकरण में सुसंगत नहीं है। अतः परिवादी की ओर से जिस निर्णय प्रदर्श-पी-01 में दिये गये निष्कर्ष के आधार पर इस प्रकरण में प्रस्तुत पत्र प्रदर्श-पी-02 को अभियुक्त के द्वारा कूटरचित कर पूर्व प्रकरण क्रमांक-[373/03](#) में एवं [17/03](#) में प्रस्तुत किया जाना साबित करने के लिये प्रदर्श-पी-01 का निर्णय अपने समर्थन में प्रस्तुत किया गया है, उक्त निर्णय या उसकी अंतरवस्तु एवं उसमें दिया गया कोई भी निष्कर्ष इस प्रकरण में सुसंगत न होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

29—यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किसी एक दाण्डिक न्यायालय के द्वारा किसी दाण्डिक प्रकरण में किसी तथ्य या बिन्दू पर उस प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर दिया गया निष्कर्ष या अभिमत किसी दूसरे दाण्डिक न्यायालय पर बंधनकारी नहीं होता है। इस संबंध में न्यायालय को अभिमत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **Kharkan And Others vs The State Of U.P on 29 August, 1963 1964 SCR (4) 673** में प्रतिपादित अभिमत पर

आधारित है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि... The earlier judgment is no doubt admissible to show the parties and the decision but it is not admissible for the purpose of relying upon the appreciation of evidence. Since the bar under s. 403 Criminal Procedure Code did not operate, the earlier judgment is not relevant for the interpretation of evidence in the present case.

30-अतः उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट होता है कि एक दाण्डिक मामले का निर्णय एक दूसरे विचारण का जब तक वर्जन नहीं करता है, तब तक उस दाण्डिक न्यायालय को निर्णय एक दूसरे दाण्डिक मामले में सुसंगत नहीं होता है। प्रदर्श-पी-01 के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि उक्त निर्णय से इस प्रकरण के विचारण का वर्जन नहीं होता है और न ही निर्णय के अनुसार उक्त प्रकरण में प्रदर्श-पी-02 की कूटरचना विवाद का बिन्दू है। अतः ऐसे में उक्त प्रकरण में न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर प्रदर्श-पी-02 के दस्तावेज के संबंध में निर्णय के कण्डिका-18 में दिया गया निष्कर्ष न तो इस न्यायालय पर बंधनकारी है और न ही सुसंगत है।

31-परिवादी की ओर से प्रस्तुत निर्णय प्रदर्श-पी-01 तथा उसमें दिया गया निष्कर्ष सुसंगत न होने से उसके आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रदर्श-पी-02 की कूट रचना अभियुक्त के द्वारा की गई, परिवादी दीपचन्द (प0सा0-01) सहित राजेश कुमार ओझा (प0सा0-02) व ममताबाई (प0सा0-03) के द्वारा दी गई मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रदर्श-पी-02 पर अभियुक्त के द्वारा परिवादी के हस्ताक्षर की कूटरचना की जाने के संबंध में दी गई राय पर विश्वास करने का कोई आधार पर अभिलेख पर नहीं है। प्रदर्श-पी-02 पर दीपचंद के हस्ताक्षर अभियुक्त की हस्तलिपि में है, यह साबित करने के लिये परिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। परिवादी का यदि यह कहना है कि प्रदर्श-पी-02 का पत्र अभियुक्त के द्वारा उसके फर्जी हस्ताक्षर से कूटरचना कर जारी किया गया, अर्थात् प्रदर्श-पी-02 के दस्तावेज पर किये गये, दीपचन्द वि वकर्मा के हस्ताक्षर अभियुक्त अनिल के द्वारा बनाकर दस्तावेज की कूटरचना की है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा-67 के अनुसार जिस व्यक्ति के बारे में यह अभिकथित है कि उसने पेश की दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, तो यह साबित करना होगा कि उक्त हस्ताक्षर या उतना हस्तलेख जितने के बारे में यह अभिकथित है कि उस व्यक्ति के हस्तलेख में, वह उसी व्यक्ति के हस्तलेख में है।

32—वर्तमान प्रकरण में परिवादी का यह कहना है कि प्रदर्श-पी-02 के पत्र पर अभियुक्त अनिल ने उसके हस्ताक्षर स्वयं बनाकर दस्तावेज की कूटरचना की है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा-67 के तहत यह साबित किया जाना आवश्यक है कि प्रदर्श-पी-02 पर दीपचन्द वि वकर्मा के हस्ताक्षर अभियुक्त अनिल की हस्तलिपि में है। प्रदर्श-पी-02 के दस्तावेज के संबंध में न तो हस्तलिपि विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट इस बाबत अभिलेख पर है और न ही विधिवत् अन्य प्रकार की साक्ष्य से यह साबित किया गया है। प्रदर्श-पी-01 का निर्णय जो कि मुख्य आधार उक्त तथ्य को साबित करने के लिये परिवादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि वह तथा उसमें दिया गया निश्कर्ष प्रकरण में सुसंगत नहीं है। वहीं प्रदर्श-पी-05 का रजिस्टर्ड ए.डी. लिफाफा परिवादी के द्वारा प्रेशित किया गया, जिसमें प्रदर्श-पी-02 का पत्र अभियुक्त को प्राप्त हुआ, इसके खण्डन में परिवादी की ओर से कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अतः ऐसे में मात्र आधारहीन मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि प्रदर्श-पी-02 के पत्र पर दीपचन्द विश्वकर्मा के हस्ताक्षर अभियुक्त अनिल के द्वारा बनाये गये।

33—लक्ष्मण प्रसाद (ब0सा0-02) के कथन अभियुक्त के ओर से अपने समर्थन में कराये गये हैं, जिसमें अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि दीपचन्द के छोटे भाई राकेश का विवाद उसकी लडकी सीमा से हुआ है तथा सीमा ने भी दीपचन्द पर कई मुकादमें लगाये हैं, जिसके संबंध में परिवादी पक्ष की ओर से इस साक्षी की प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-05 में दिये गये सुझाव को इस साक्षी ने स्वीकार किया है। लक्ष्मण प्रसाद (ब0सा0-02) की दीपचन्द (प0सा0-01) से नजदीकी रिश्तेदारी है, जो उसके कथनों से प्रमाणित है तथा स्वयं इस साक्षी के कथन सहित अभिलेख पर सभी साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि दीपचन्द व अभियुक्त के मध्य कई आपराधिक प्रकरण पूर्व में चले हैं तथा वर्तमान में भी चल रहे हैं।

34—जहां दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराये गये हैं, वहां यदि तर्क के लिये मान भी लिया जाये कि प्रदर्श-पी-02 पर दीपचन्द (प0सा0-01) के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये, तब भी प्रदर्श-पी-02 का पत्र जो कि अभियुक्त के द्वारा रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त होना बताया गया है, का अभियुक्त के द्वारा किसी अन्य प्रकरण में प्रस्तुत किया जाना, इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकता है कि उक्त पत्र की कूटरचना अभियुक्त के द्व

ारा की गई, या उसके कूटरचित होने की जानकारी अभियुक्त को थी। अभियुक्त के द्वारा प्रदर्श-पी-02 का पत्र स्वयं कूटरचित किया गया तथा उसे कूटरचित जानते हुये प्रकरण में प्रस्तुत किया गया, यह परिवादी को सम्भावनाओं से परे किसी ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से साबित करना था, जिसे साबित करने में परिवादी सफल रहा है।

35—दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में प्रचलित प्रकरणों से उनके मध्य पूर्व की रन्जिश प्रमाणित है, जिससे यह सम्भावना हो सकती है कि प्रदर्श-पी-02 का पत्र कूटरचित हो तथा अभियुक्त के द्वारा स्वयं ही उक्त पत्र को कूटरचित कर या कूटरचित जानते हुये पूर्व के प्रकरणों में प्रस्तुत किया गया, परन्तु इस सम्भावना से भी कहा इन्कार किया जा सकता है कि उक्त पत्र स्वयं परिवादी के द्वारा अभियुक्त को फसाने के लिये अभियुक्त को प्रेषित यह जानते हुये प्रस्तुत किया गया कि उक्त पत्र अभियुक्त प्रकरण में यदि प्रस्तुत करेगा, तो वह उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करा देगा, मात्र सम्भावनाओं के आधार पर बिना किसी प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध या पक्ष में कोई निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि सम्भावनायें कितनी भी प्रबल क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकती है। किसी भी तथ्य को मात्र सुसंगत साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर साबित किया जा सकता है।

36—वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवादी जहां यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि प्रदर्श-पी-02 के पत्र पर उसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये वहीं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह साबित भी नहीं होता है कि अभियुक्त अनिल ने परिवादी दीपचन्द विश्वकर्मा का फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षरित पत्र कि रचना कर उसे न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-17/03 में एवं प्रकरण क्रमांक-373/03 इस आशय से प्रस्तुत किया कि वह उक्त पत्र जिसकी कूटरचना की गई है, से परिवादी की ख्याति की अपहानि करेगी, या यह संभाव्य जानते हुये किया कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाये।

37—फलतः अभियुक्त अनिल पुत्र भैयालाल विश्वकर्मा को भा.द.वि. की धारा 469 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त अनिल पुत्र भैयालाल विश्वकर्मा को भा.द.वि. की धारा 469 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

38—अभियुक्त धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)